हिंदी कार्यशाला का आयोजन- रिपोर्ट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही के दौरान राजभाषा विभाग, भारत सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार बोर्ड मुख्यालय के अधिकारियों एवं कार्मिकों को राजभाषा संबंधी नियमों की जानकारी देने एवं राजभाषा नीति के कार्यांवयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने एवं उन्हें राजभाषा हिंदी में कार्य करने संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।

बोर्ड मुख्यालय में अक्टूबर-दिसम्बर 2025 के दौरान दिनांक 27.11.2025 को मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसका विषय था-" कार्यालयी अनुवाद की समस्या एवं समाधान"। इस कार्यशाला का संचालन श्री विजय सिंह, संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं विधि) के द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में अतिथि वक्ता के रुप में श्रीमती लेखा सरीन, सहायक निदेशक, (सेवानिवृत), केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में 51 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

कार्यशाला का आरंभ श्री विजय सिंह, संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं विधि) के द्वारा श्रीमती लेखा सरीन, सहायक निदेशक के स्वागत से किया गया एवं उन्होने कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य कार्मिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाना तथा "क" क्षेत्र में स्थित होने के कारण शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाना अनिवार्य है जिसके लिए अनुवाद की आवश्यकता भी होती है।

कार्यशाला में आमंत्रित मुख्य वक्ता श्रीमती लेखा सरीन, सहायक निदेशक ने कार्यालयी अनुवाद के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करते समय स्रोत भाषा की वाक्य संरचना की नकल न करें तथा शब्दशः अनुवाद न करें। लक्ष्य भाषा अर्थात हिंदी भाषा में समानार्थी शब्द को ढूंढते समय मूल पाठ के संदर्भ/ विषय/प्रसंग का पूरा ध्यान रखें। मूल पाठ के भाव को अच्छी तरह समझे बिना अनुवाद न करें, अन्यथा लक्ष्य भाषा में भाव विकृत हो जाने का डर है। अत: मूल पाठ के पढ़ने तथा मूल भाव को समझने में जल्दबाजी न करें। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के स्थान को नजर-अंदाज न करें। लक्ष्य भाषा में समानार्थी शब्द को ढूंढते समय मूल पाठ के संदर्भ/प्रसंग की उपेक्षा न करें। लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति सरल, सुबोध, और सहज भाषा में करें ताकि जिसके लिए अनुवाद किया जा रहा है वह उसे अच्छी तरह से समझ सके ।

अपने व्याख्यान को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि पारिभाषिक, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों के लिए केवल स्वीकृत पर्याय ही काम में लाएँ। यदि स्वीकृत तकनीकी पर्याय उपलब्ध न हों तो मूल शब्द को ही लिप्यंतरित रूप में प्रस्तुत करें । नामवाचक संज्ञा का अनुवाद प्राय: नहीं करना चाहिए, उसे केवल लिप्यंतरित ही करें। जैसे **India Gate** का केवल लिप्यंतरण ही होगा- **इंडिया गेट ।** अनुवाद करते समय किसी संस्था के नाम का भाषांतरण उस समय तक न करें, जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि उसका नाम लक्ष्य भाषा में भी रजिस्टर्ड या अनुमोदित है। जैसे- **Central Board of Secondary Education का स्वीकृत हिंदी अनुवाद "केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड"** है। इसका कोई अन्य हिंदी अनुवाद नहीं किया जा **सकता। Ministry of Housing and Urban Affairs का स्वीकृत हिंदी अनुवाद – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है ।** अतः नामवाचक संज्ञा का अनुवाद करते समय केवल आधिकारिक रुप से स्वीकृत अनुवाद अथवा केवल लिप्यंतरण ही करें। विभिन्न विषयों के ऐसे शब्दों या पदबंधों का अनुवाद उनके विशिष्ट/रूढ़ अर्थ को समझे बिना तथा शब्दशः न करें।

मुख्य वक्ता ने बैठक में उपस्थित कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति में मानकीकृत वर्तनी का अनुसरण करें, शब्दावली की एकरूपता का ध्यान रखें तथा सर्वत्र प्रचलित शब्दों का प्रयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, सूत्रों और प्रतीकों को मूल रूप में लिखना चाहिए । संपूर्ण अनुवाद में स्रोत भाषा की शैली अक्षुण्ण को रखा जाए। रचना का समग्र प्रभाव बना रहने से अनुवाद प्रमाणिक, सटीक और अर्थानुसार रहता है। लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति सरल, सुबोध, और सहज भाषा में करें ताकि जिसके लिए अनुवाद किया जा रहा है वह उसे अच्छी तरह से समझ सके। अनुवाद में अभिव्यक्ति लक्ष्य भाषा की प्रकृति और प्रवृति के अनुकूल हो तथा उसमें पठनीयता और प्रवाह हो।

मुख्य वक्ता ने कार्यशाला में उपस्थित कार्मिकों की समस्याओं का निराकरण भी किया तथा उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि राजभाषा नीति के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना हम सभी का संवैधानिक कर्तव्य भी है। अंत में , श्रीमती पूजा, सहायक सचिव (राजभाषा) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला सम्पन्न हुई ।

कार्यशाला की झलकियाँ